# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 59/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/66)**

रेवन्ताराम पुत्र जैताराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीदासर।

**रेस्पोडेंट**

**उपस्थितः** 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
**उपस्थितः** 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 26–12–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू) के निर्णय दिनांक 02.08.2022 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार बीदासर जिला चूरू ने कदीमी रास्तो को राजस्व अभिलेख मे दर्ज करने हेतु प्रस्ताव की अनुशंषा उपखण्ड अधिकारी बीदासर से की। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू ने अपने आदेश क्रमांक 343 दिनांक 02.08.2022 द्वारा तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट एव खातेदारो की सहमति के आधार पर रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि मौजारोही जोगलसर के खसरा नं. 1032/624 में तादादी 1.3911 हैक्टर स्थित है। जिसके चारो तरफ पट्टीया लगाकर तारबन्दी की हुई है। मौके पर कभी भी उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई कदमी रास्ता ना तो था, ना ही प्रचलित ही रहा है। उक्त

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खसरा नं. भूमि में से 0.0504 हैक्टर रास्ता अंकन के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट की भूमि को नामान्तकरण के द्वारा नये खसरे नं. 1243/1032, 1244/1032 अपीलान्ट के नाम व 1245/1032 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट का खेत दो भागो मे विभक्त हो जाता है। उक्त रास्ता अपीलान्ट के ही रिश्तेदारो के खेत खसरा नं. 1031/624 व 1030/624 मे से कायम किया गया है जो आगे खसरा नं. 628 पर जाकर समाप्त होता है। खसरा नं. 628 देवताओ से सम्बन्धित जौत मन्दिर श्री माताजी खातेदार के नाम से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। इसी खाते मे अन्य खसरा नं. 577, 578, 610, 622, 625, 625/888, 626, 627 भी है। सभी खसरे एक दूसरे से चिपते हुए है। अर्थात कुल खाता 13.7465 हैक्टर का एकल खेत के रूप में स्थित है। आदेश जैर अपील के साथ संलग्न कागजात मे पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारान की सहमति के रूप में अपीलान्ट के नाम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया है, जो पूर्णतया फर्जी अगूठा निशानी से प्रस्तुत किया गया है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजानगढ के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत कर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिस अधिसूचना सन् 2016 का सहारा लेकर आदेश जैर अपील पारित किया है उसकी समयावधि काफी पूर्व समाप्त हो चुकी है। साथ ही इस अधिसूचना मे दी गई व्यवस्थाओ का पूर्ण एवं विधिक पूर्वक पालन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। ना ही आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस दिया, ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाने की कृपा करे। आदेश जैर अपील के क्रम में राजस्व रेकार्ड में किये गये परिवर्तनो का पुनः स्थापित करने के आदेश फरमावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू) के निर्णय दिनांक 02.08.2022 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमे अंकित किया है कि प्रार्थी के ग्राम जोगलसर के खेत खसरा नं. 1032/624 तादादी 1.3911 हैक्टयर में फर्जी एवं कूटरचित सहमति पत्रो के आधार पर रास्ता कायम किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट खसरा नं. 1032/624 के खातेदार काश्तकार है तथा अपीलाधीन आदेश से उक्त खसरा नं. में गै.मु. रास्ता कायम किया गया है जो कि नकल जमाबन्दी से स्पष्ट होता है इसलिए अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में फर्जी सहमति होना अंकित किया है तथा इस सम्बन्ध में पलिस थाना साण्डवा जिला चूरू में FIR NO. 0185/ 2022 भी दर्ज हुई है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को नाटिस जारी नही किये गये तथा ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया है, बिना सुनवाई के अवसर के अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम किया गया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचनात्मक निर्णय पारित नही कर केवल तहसीलदार बीदासर को पत्र जारी किया गया है जिसमे अंकित किया है कि" तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट एवं खातेदारो की सहमति के आधार पर रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।" इसमे किसी प्रस्ताव का क्रमांक, दिनांक, ग्राम का नाम आदि अंकित नही है इस प्रकार उक्त पत्र को Speaking decision नही माना जा सकता है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश कायम रखने योग्य नही है। अतः अपील

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2022 को अपास्त किया जाता है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।